



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980]  
No. 980]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2008/आषाढ़ 23, 1930  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2008/ASADHA 23, 1930

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

क्र.अ. 1688(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित करती है :

1. श्रीमती नीवा कंवर, रुक्मिणी गांव, गुवाहाटी-22, जिला कामरूप, असम ।
2. श्रीमती यास्मीन अबरार, 25, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।
2. श्रीमती नीवा कंवर तथा श्रीमती यास्मीन अबरार पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगी ।

[फा. सं. 9-2/2008-टब्ल्यू डब्ल्यू]  
पी. बोलीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND  
CHILD DEVELOPMENT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1688(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates the following persons as Members of National Commission for Women :

1. Smt. Neeva Konwar, Rukmini Gaoi, Guwahati-22, Distt. Kamrup, Assam.
2. Mrs. Yasmeen Abrar, 25, South Avenue, New Delhi.

2. Smt. Neeva Konwar and Mrs. Yasmeen Abrar shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9-2/2008-WW]  
P. BOLINA, Jt. Secy.